न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 40/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/104)

1. रामबाई पत्नि रमेशचन्द जाति मीना निवासी रूढमल का बास कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र हरसी जाति मीना निवासी ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा प्रकरण संख्या 28/2022 उनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक 30.06.2022

अपील संख्या 41/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/105)

1. रामबाई पत्नि रमेषचन्द जाति मीना निवासी रूढमल का बास कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैया पुत्र हरजी जाति मीना निवासी ग्राम रूढमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा।
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा प्रकरण संख्या 27/2022 उनवानी कन्हैयालाल बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक 30.06.2022

उपस्थित–

1 श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2 श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 18.09.2024

1. यह अपील दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.07.2023 को प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. उपखण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 30.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्टस रामबाई पत्नि रमेशचन्द द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा दिनांक 30.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 90 व 91 जिसके पूर्व साबिक खसरा नम्बर 4/21 है, के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलान्ट के स्व0 पिता रमेशचन्द पुत्र जन्सीराम मीना व मुकेश पुत्र रामपाल आदि जाति मीना निवासी रूढमल का बास द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 इस आशय का पेश किया था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्षकार द्वारा कपटपूर्ण तरीके से तालाब नदी नाले की भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दिनांक 13.11.1970 को अपने नाम आंवटन करा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक दिखावटी बोगस खातेदार है। वास्तव में उक्त आराजी तालाब नाले की राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के संबंध में दिनांक 13.11.70 को अवैध आंवटन के आधार पर खातेदारी प्राप्त की है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आंवटन होने योग्य नहीं था, जिसके संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर में अपीलान्ट एवं अन्य द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि आंवटन आदेश दिनांक 13.11.70 में वर्णित आराजी पर उनका कब्जा कभी नहीं रहा। उनका कब्जा चरागाह भूमि पर रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा के यहा वाद उद्धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनको आंवटन आदेश दिनांक 13.11.70 में वर्णित भूमि पर काबिज रहने के कारण आंवटन में अंकित भूमि के स्थान पर चरागाह में स्थित उनके कब्जे का खातेदार घोषित किया जावे। जिस पर बाद सुनवाई रेस्पोडेन्ट संख्या एक के दावे को न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा द्वारा निरस्त फरमाया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 लै0रे0 एक्ट में अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का पेश होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदम पैरवी में प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पक्ष द्वारा अपीलान्ट पक्ष को पक्षकार बनाये बगैर ही दूसरा प्रकरण संख्या 27/2022 जिसमें तहसीलदार दौसा को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत कर गलत तरीके से एकतरफा में जैर अपील निर्णय दिनांक 30.06.2022 पारित फरमा दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के पश्चात भी अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाकर अपीलांट के पीठ पीछे जैर अपील निर्णय दिनांक 30.06.2022 पारित फरमाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के वादग्रस्त आराजी पर पुख्ता मकानात बने हुए है जो अपने परिवार सहित निवास करती है व मवेशी आदि बांधती है। आदेश दिनांक 30.06.2022 की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के चारो और मेडबंदी कर अपीलांट के रास्ते को बन्द करने पर आमादा है जिससे अपीलांट के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीया को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नही थी दिनांक 07.06.23 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2022 की पालना करवाने के लिए मौके पर गये तब उक्त आदेश दिनांक 30.06.2022 की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर अपीलांट द्वारा बाद जानकारी नकल निकलवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ में अपील पेश की गई है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से एग्रीव्ड है। ऐसी सूरत में अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील पेश करने की अनुमति प्रदान जावें। अतः अपील के समस्थ तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

5. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 1.90 है0 एंव खसरा नम्बर 91 रकबा 1.93 है0 स्थित है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। प्रार्थी की उक्त भूमि के चारों ओर सरकारी भूमि है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करता है और अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली जब भी लगाता है तो चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले उसको तोड देते है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि की फसल को आवारा जानवार नष्ट कर देते हैं, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भारी नुकसान होता रहता है। प्रार्थी की उक्त भूमि का पूर्व में भी सीमाज्ञान कराया जा चुका है तथा अतिक्रमणकारियों को कई बार समझाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। आप लोग अब किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करे और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि की फसल को खराब नहीं करे लेकिन वे नही मानते है और प्रार्थी से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों द्वारा लगातार विवाद किया जाता है। तब रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी भूमि एवं फसल की सुरक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट इत्यादि तलब कर एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2022 पारित किया गया है जो उचित एवं विधि सम्मत है। जिसके सम्बन्ध में अन्य किसी पडौसी खातेदारी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज की जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है तथा अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें विलम्ब से प्रस्तुत अपील/प्रार्थना पत्रादि के विलम्ब को माफ किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रकरण में भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत के प्रार्थना पत्र 14(4) के अंतर्गत वाद वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब तक उक्त प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं कर दिया जाता है तब तक खातेदारी अधिकार किसी भी पक्षकार के हक में सर्जित नहीं माने जा सकते है। ऐसी स्थिति में भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 14(4) के प्रार्थना पत्र पर सक्षम न्यायालय से निर्णय हो जाने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रकरण मे सक्षम न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपील/नो अपील का फैसला लिये जाने तक प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित रखी जानी समीचीन प्रतीत होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2022 पारित किये गये है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

दिनांक 30.08.2022 निरस्त किये जाते हैं । साथ ही उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा [illegible] [illegible] टोंक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे [illegible] के प्रकरण में प्रभावी रिपोर्ट का [illegible] का [illegible] सुनिश्चित करें, इस हेतु [illegible] अधिकारी टोंक एवं [illegible] टोंक को प्रकरण में [illegible] [illegible] टोंक को प्रभावी [illegible] हेतु लिखा जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)

अति. संभागीय आयुक्त,

जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,

जयपुर